



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 452] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 9, 2019/अग्रहायण 18, 1941

No. 452] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 9, 2019/AGRAHAYANA 18, 1941

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 3 दिसम्बर, 2019

विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2019

सं. फेमा. 23(आर)(2)/2019-आरबी.—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा-7 की उप-धारा (3) की उप-धारा (1) के खंड (ए) तथा धारा-47 की उप-धारा (2) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद् द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 [दिनांक 12 जनवरी, 2016 की अधिसूचना सं. फेमा 23(आर)/2015-आरबी], जिसे इसके पश्चात 'मूल विनियमावली' कहा गया है, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

- यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2019 कहलाएगी।
- यह विनियमावली सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. मूल विनियमावली में, विनियम 4 में, उप-विनियम (ई) के पश्चात, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा; अर्थात:-

“(ईए) विदेशी पट्टाकर्ता द्वारा पुनः कब्जे में लिए गए लीज़ पर दिये गए ऐयरक्राफ्ट/ हेलिकॉप्टर और/ अथवा इंजिन/ ऑक्सिलरी पावर यूनिट (APU), जिन्हें अपरिवर्तनीय गैर-पंजीकरण एवं निर्यात अनुरोध अधिप्रमाणन (आईडीईआरए) धारक द्वारा “केप-टाउन कन्वेन्शन” के तहत किए गए अनुरोध पर नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा विधिवत रूप से गैर-पंजीकृत किया गया है, का पुनर्निर्यात; इस शर्त के अधीन कि इस प्रकार के निर्यात/ निर्यातों को डीजीसीए/ नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अनुमति दी गई हो।”

आर. के. मूलचंदानी, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./339/19]

फुट नोट : विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 [दिनांक 12 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं. फेमा 23(आर)/2015-आरबी] दिनांक 12 जनवरी 2016 को सा.का.नि. सं. 19(अ) के मार्फत सरकारी राजपत्र में असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी; एवं तत्पश्चात दिनांक 23 जून 2017 को सा.का.नि. सं. 635(अ) के मार्फत संशोधित की गई थी।

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd December, 2019

Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) (Amendment) Regulations, 2019

No. FEMA 23(R)/(2)/2019-RB.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1), sub-section (3) of section 7 and clause (b) of sub-section (2) of section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Export of Goods & Services) Regulations, 2015 [Notification No. FEMA 23(R)/2015- RB dated January 12, 2016] (hereinafter referred to as 'the Principal Regulations'), namely:

1. Short title and commencement: -

- i. These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) (Amendment) Regulations, 2019.
 - ii. They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Principal Regulations, in regulation 4, after sub-regulation (e), the following shall be inserted, namely :-

“(ea) re-export of leased aircraft/ helicopter and/or engines/auxiliary power units (APUs) re-possessed by overseas lessor and duly de-registered by the Directorate General of Civil Aviation (DGCA) on the request of Irrevocable Deregistration and Export Request Authorisation (IDERA) holder under ‘Cape Town Convention’ subject to permission by DGCA/Ministry of Civil Aviation for such export/s.”

R. K. MOOLCHANDANI, Chief General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./339/19]

Foot Note: The Foreign Exchange Management (Export of Goods & Services) Regulations, 2015 [Notification No. FEMA 23(R)/2015- RB dated January 12, 2016] were published in the Official Gazette *vide* G.S.R. No.19 (E) dated January 12, 2016 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended *vide* G.S.R. No. 635(E) dated June 23, 2017.